न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 25/2020

वादीया :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. पिस्ता कंवर पत्नी तगतसिंह जाति पुरोहित, तहसील सोजत, जिला—पाली, (राजस्थान)		1 कन्हैयालाल 2 ओमप्रकाश 3 जगदीश पिसरान मोहनलाल 4 मैना पत्नी मोहनलाल जातियान नाई, निवासी चाडवास, तहसील सोजत 5 भंवरलाल 6 मोहनलाल 7 विशनाराम पिसरान खुमाराम 8 पुकली पत्नी खुमाराम 9 मांगीलाल पुत्र पोकरराम जातियान जाट निवासीगण चाडवास, तहसील सोजत, जिला पाली। 10 तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र परिहार एवं पुष्पेन्द्र सैन अधिवक्तागण प्रतिवादी सं0 1 से 9

उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 13.12.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चाडवास पटवार क्षेत्र चाडवास, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाडवास तहसील सोजत जिला पाली. के वर्तमान खाता संख्या 398 के खसरा नंबर 726/1283 रकबा 0.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त संपूर्ण भूमि में वादीनी का 0.1400 हैक्टर खातेदारी व कब्जा काश्त है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 0.1000 हैक्टर हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का 0.1000 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 9 का

उपखण्ड अधिकारी सोजत

0.1000 हैक्टर हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज सुदा है। वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि का वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 मौके पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लेकिन उपरोक्त आराजीयात की भूमि का राजस्व रेकर्ड में आज दिनांक तक विधिक बंटवाडा नहीं हो रखा है अर्थात उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अविभाजित कृषि भूमि है। वादीनी का मौके पर अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादीनी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ योग्य बनाने हेतु लाखो रूपये विनियोजित किये गये है। वादस्थ अविभाजित कृषि भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर संयुक्त हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त कृषि भूमि का विधिक बंटवाडा नहीं होने के अभाव में सह खातेदारान के मध्य आपसी मनमुटाव, सीमाओं एवं काश्त को लेकर मौके पर विवाद होने की संभावना रहती है। इसलिये वादीनी वादस्थ कृषि भूमि मौके पर माफिक कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपने हक हिस्सा 0.1400 हैक्टर की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्रतिवादीगण से बंटवाडा करवाने की कानूनन अधिकारीणी है। वादीनी द्वारा दिनांक 25.06.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 से संपर्क कर वादस्थ भूमि को मौके पर माफिक कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार वादस्थ कृषि भूमि का आपसी सहमति से उप पंजीयन कार्यालय सोजत चलकर विधिक बंटवाडा करवाने का निवेदन करने पर साफ इंकार हो गये इसलिये वादीनी वादस्थ भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि को बंटवाडा करवा कर राजस्व रेकर्ड में पृथक से खाता कायम करवाना चाहती है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त कब्जा काश्त की स्थिति होने से व वादीनी द्वारा दिनांक 25.06.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 से संपर्क कर वादस्थ भूमि का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सोजत चलकर विधिक बंटवाडा का निवेदन करने पर साफ इंकार हो जाने से वाद कारण बमुकाम ग्राम चाडवास उत्पन्न हुआ जो वाद अंदर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम चाडवास तहसील सोजत में स्थित होने से एवं वाद बंटवाडा का होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम चाडवास तहसील सोजत में स्थित होने से एवं वाद बंटवाडा का होने से तहसीलदार (भूमि धारक) को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 10 बनाया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीया ने वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा डिक्री किये जाने अर्थात् उक्त कृषि भूमि सरहद मौजा चाडवास पटवार क्षेत्र चाडवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाडवास तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता नंबर 398 के खसरा नंबर 726/1283 रकबा 0.4400 हैक्टर किस्म बारानी

अव्वल कृषि भूमि में वादीया अपना 0.1400 हैक्टर हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से विधिक बंटवाडा करवा कर पृथक से खाता व लगान अलग–अलग कर अमल दरामद तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 से 9 की ओर से दिनांक 10.02.2021 को अधिवक्ता श्री गजेन्द्र परिहार एवं श्री पुष्पेन्द्र सैन ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 है। प्रति0 संख्या 10 बावजूद तामिली/सूचना दिनांक 22.10.2021 से अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 22.10.2021 वकालतनामा पेश करने के पश्चात् से अनेकानेक अवसरों के बावजूद ज0दा0 पेश नहीं करने से जबाब दावा बन्द किया गया।

दिनांक 12.10.2021 को राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 ग्राम पंचायत–चाडवास में पत्रावली पेश होकर वकुलाय मय उपस्थित पक्षकारान के आग्रह/सहमति व्यक्त करने पर प्राथमिक रूप से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रा0 डिक्री की जाकर उक्त वादस्थ कृषि भूमि का पक्षकारानों के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कर ट्रेस नक्शा में अमल तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। उपस्थित वकुलाय मय उपस्थित पक्षकारान के आग्रह/सहमति व्यक्त करने पर प्रा0 रूप से वादिया का वाद वाद स्वीकार कर प्रा0 डिक्री की जाकर उक्त वादस्थ कृषि भूमि का पक्षकारानों के मध्य बाईमिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कर तहसीलदार, सोजत को इस हेतु अधिकृत कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहा गया।

तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/केम्प/600 दिनांक 11. 11.2021 द्वारा प्रा0 डिक्री की पालना कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा राजस्थान काश्तकारी 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार करके प्रस्तुत किया। उभय पक्षकारान मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 18 से 21 की पालना की जाकर विभाजर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में पृथक पृथक खसरा नम्बर, लगान व रकबा का निर्धारण भी किया गया है। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिवक्ता मय वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

—: आदेश :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 11.11.2021 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा चाडवास पटवार क्षेत्र चाडवास, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राज. के वर्तमान खाता संख्या 398 के खसरा नंबर 726/1283 रकबा 0.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:—

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	पिस्ताकंवर पत्नी तगतसिंह कौम पुराहित सा. देह खातेदार।	726/1283	0.1400	बाअ	0.70
2.	कन्हैयालाल 1/4, ओमप्रकाश 1/4, जगदीश 1/4, पिता मोहनलाल, मैना पत्नी मोहनलाल 1/4 कौम नाई सा. देह खातेदार।	726/1	0.1000	बाअ	0.50
3	भंवरलाल 1/4, मोहनलाल 1/4 विशनाराम 1/4 पिता खुमाराम पुकली पत्नी खुमाराम जाट 1/4 सा. देह खातेदार।	726/2	0.1000	बाअ	0.50
4	मंगीलाल पुत्र पोकरराम कौम जाट सा. देह खातेदार।	726/3	0.1000	बाअ	0.50
	योगः—	04	0.4400	बाअ	2.20

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/राजस्व नक्शा में तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 11.11.2021 की प्रमाणित छाया प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को सरे ईजलास लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड आर.ए.एस.

वादीया :– **बनाम** **प्रतिवादीगण :–**

वादीया:

1. पिस्ता कंवर पत्नी तगतसिंह जाति पुरोहित, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण:

1 कन्हैयालाल
2 ओमप्रकाश
3 जगदीश पिसरान मोहनलाल
4 मैना पत्नी मोहनलाल जातियान नाई, निवासी चाडवास, तहसील सोजत
5 भंवरलाल
6 मोहनलाल
7 विशनाराम पिसरान खुमाराम
8 पुकली पत्नी खुमाराम
9 मांगीलाल पुत्र पोकरराम जातियान जाट निवासीगण चाडवास, तहसील सोजत, जिला पाली।
10 तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 25/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादीया श्री कैलाश दवे एवं अधिवक्तागण प्रतिवादीगण श्री गजेन्द्र परिहार एवं पुष्पेन्द्र सैन अधिवक्तागण प्रतिवादी सं0 1 से 9 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा चाडवास पटवार क्षेत्र चाडवास, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राज. के वर्तमान खाता संख्या 398 के खसरा नंबर 726/1283 रकबा 0.4400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	पिस्ताकंवर पत्नी तगतसिंह कौम पुराहित सा. देह खातेदार।	726/1283	0.1400	बाअ	0.70
2.	कन्हैयालाल 1/4, ओमप्रकाश 1/4, जगदीश 1/4, पिता मोहनलाल मैना पत्नी मोहनलाल 1/4 कौम नाई सा. देह खातेदार।	726/1	0.1000	बाअ	0.50
3	भंवरलाल 1/4, मोहनलाल 1/4 विशनाराम 1/4 पिता खुमाराम पुकली पत्नी खुमाराम जाट 1/4 सा. देह खातेदार।	726/2	0.1000	बाअ	0.50

4	मंगीलाल पुत्र पोकरराम कौम जाट सा. देह खातेदार।	726/3	0.1000	बाअ	0.50
	योगः–	04	0.4400	बाअ	2.20

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन हाजा न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.12. 2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			